

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480-224062 फेक्स नं0 07480-224911 email-dfotogunj@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./18/ 2890
प्रति,

औ.गंज/दिनांक, 19/12/18

मुख्य महा प्रबंधक

म0प्र0औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल

विषय:

रायसेन जिले में औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में पूर्व निर्मित औद्योगिक क्षेत्र को नियमितिकरण करने हेतु 16.268 हे0 आरक्षित वनभूमि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक/8-53/2009-एफ.सी. दिनांक 02.11.18

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/617/09/10-11/3513 दिनांक 12.11.18 एवं 3650 दिनांक 29.11.18

—00—

उपरोक्त विषयांकित में लेख है कि, प्रकरण में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र हेतु 16.268 हे0 आरक्षित वनभूमि के नियमितिकरण किये जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा प्रथमचरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति जारी की गई है। प्रकरण में जारी की गई प्रथमचरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध के संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की इस वनमंडल से संबंधित शर्त क्रमांक 2(ii) एवं 2(xi) के पालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें :-

1. शर्त क्रमांक 2(ii) एवं 2(xi) के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू एवं दाण्डिक (penal) नेट प्रजेन्ट वेल्यू की गणना पत्रक निम्नानुसार है :-

कक्ष क्रमांक	रकवा हे0 में0	घनत्व	ईको क्लास	म0प्र0शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 12.9.08 के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू की दर प्रति हे0 (लाख में)	प्राप्त की जाने वाली नेट प्रजेन्ट वेल्यू (100%)	प्राप्त की जाने वाली दाण्डिक (penal) नेट प्रजेन्ट (50%)	आवेदक संस्थान से जमा कराने हेतु प्रस्तावित कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
PF-776 & PF-777	16.268	0.2	Eco 3	6.26	1,01,83,768.00	50,91,884.00	1,52,75,652.00

आवेदित वनभूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू रू0 1,01,83,768.00 (एक करोड़ एक लाख तैरासी हजार सात सौ अड़सठ रूपये मात्र) एवं दाण्डिक (penal) नेट प्रजेन्ट वेल्यू रू0 50,91,884.00 (पचास लाख इनक्यानवे हजार आठ सौ चौरासी रूपये मात्र) कुल रू0 1,52,75,652.00 (एक करोड़ बावन लाख पचहत्तर हजार छः सौ बावन रूपये मात्र) COMPENSATORY AFFORRESTATION FUND MANAGEMENT & PLANNING AGENCY (CAMPA) फंड में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल द्वारा OK किये जाने के पश्चात RTGS के माध्यम से जमा की जाना प्रस्तावित है।



2. आवेदित वनक्षेत्र में लगे वृक्षों का विदोहन व्यय हेतु आपके द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 8312 दिनांक 27.11.18 एवं 8314 दिनांक 27.11.18 के अनुसार वृक्षों के विदोहन नहीं किया जाना है, इस हेतु शून्य राशि का मांग पत्र चाहा गया है। इस संबंध में निर्णय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध म0प्र0भोपाल द्वारा लिया जावेगा।

फॉरेस्ट क्लियरेंस वेबसाइट पर यह मांग पत्र अपलोड किया जा रहा है, अतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल द्वारा प्रकरण में मांग पत्र OK किये जाने के पश्चात ही बिन्दु क्रमांक 01 के अनुसार नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें, तथा राशि जमा करने की पुष्टि हेतु UTR क्रमांक/दिनांक सहित एवं राशि हस्तांतरण का बैंक स्टेटमेंट शीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र अनुसार प्रथमचरण की सैद्धांतिक अनुमति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन कर पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र प्रस्तुत करें। शर्त क्रमांक 2(ii) एवं 2(xi) के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का मांग पत्र वनमंडल दक्षिण सागर से संबंधित होने से इस संबंध में मांग पत्र वनमंडल दक्षिण सागर से प्राप्त करने का कष्ट करें।



वनमंडलाधिकारी,
सा.वनमंडल औ.गंज

पृ.क्रमांक/मा.चि./18/
प्रतिलिपि :-

औ.गंज/दिनांक,

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस की वेबसाइट पर ओके किये जाने हेतु सादर सम्प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल दक्षिण सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



वनमंडलाधिकारी,
सा.वनमंडल औ.गंज

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail - dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

कमांक/मा.चि./06/2019/ 112
प्रति,

सागर, दिनांक

7-3-19

प्रबंध संचालक,
औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल
विठटल मार्केट ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

विषय :- Proposal for de-notification of 197.93 ha. and 16.268 ha. of protected Forestland for Mandideep industrial Area in Raisen district, Madhya Pradesh.

- संदर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.) का पत्र क्र./एफ-5/2016/10-11/862 दिनांक 21.04.2016 एवं पत्र क्र./1204 दिनांक 06.06.2016 एवं पत्र क्र./2289 दिनांक 05.08.2017 एवं पत्र क्र./2652 दिनांक 08.09.2017 एवं पत्र क्र./2853 दिनांक 29.09.2017 एवं पत्र क्र./3801 दिनांक 22.12.2017 एवं पत्र क्र./3650 दिनांक 29.11.2018
 2. वनमंडल अधिकारी औबेदुल्लागंज का पत्र क्र./मा.चि./1141 दिनांक 04.05.2016 एवं पत्र क्र./2891 दिनांक 13.12.2018
 3. म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पृ. पत्र क्र./एफ-05-02/2010/10-03/774 भोपाल दिनांक 26.05.2016
 4. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर का पत्र क्र./मा.चि./व्यय/2596 सागर दिनांक 10.05.2016 एवं पत्र क्र./3489 दिनांक 25.06.2016 एवं पत्र क्र./5175 दिनांक 28.07.2016 एवं पृ. पत्र क्र./5528 दिनांक 10.08.2017 एवं पृ.पत्र क्र./6941 दिनांक 06.10.2017 एवं पत्र क्र./8103 दिनांक 29.11.2017 एवं पत्र क्र./8319 दिनांक 12.12.2017 एवं पत्र क्र./95 दिनांक 05.01.2018 एवं पृ. पत्र क्रमांक/व्यय/2018/535,536,537,544 दिनांक 29.01.2018 एवं पत्र क्र./6835 दिनांक 12.12.2018 एवं पत्र क्र./1143 दिनांक 18.02.2019
 5. कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./06/2017/6329 दिनांक 10.08.2017 एवं पत्र क्र./2401 दिनांक 03.11.2017 एवं पत्र क्र./2113 दिनांक 23.12.2017 एवं पत्र क्र./123 दिनांक 19.01.2018 एवं पत्र क्र./221 दिनांक 03.02.2018
 6. वन परिक्षेत्र अधिकारी केसली का पत्र क्र./552 दिनांक 16.08.2017 एवं पत्र क्र./क्यू 01 दिनांक 09.01.2018
 7. आपका पत्र क्र./7039 दिनांक 25.10.2017 एवं पत्र क्र./7859 दिनांक 24.11.2017 एवं पत्र क्र./8334 दिनांक 15.12.2017 एवं पत्र क्र./8569 दिनांक 28.12.2017 एवं पत्र क्र./1053 दिनांक 15.02.2018 एवं पत्र क्र./8305 दिनांक 27.11.2018 एवं पत्र क्र./432 दिनांक 22.01.2019
 8. भारत सरकार का पत्र क्र./8-53/2009-FC दिनांक 20.12.2017 एवं पत्र क्र./8-53/2009-FC(VOL) दिनांक 02.11.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में दक्षिण सागर वनमंडल के वन परिक्षेत्र केसली के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र मंडीद्वीप के पक्ष में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित ग्राम घाना, भरदी, बम्होरी एवं खरखरी तहसील केसली में न्यायालय कलेक्टर, सागर जिला सागर के आदेश दिनांक 03.05.2017 द्वारा गैर वन भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर द्वारा 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। इसके आधार पर ग्रामवार वृक्षारोपण योजना की राशि निम्नानुसार है :-

क.	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा हे.में	वृक्षारोपण योजना की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दक्षिण सागर	केसली	केसली	खरखरी	01	16.500	17546622.00
2	दक्षिण सागर	केसली	केसली	घाना	411	45.000	35241515.00
3	दक्षिण सागर	केसली	केसली	भरदी	61, 79, 82, 85, 88	90.620	67203844.00
4	दक्षिण सागर	केसली	केसली	बम्होरी	312/1	62.000	46840691.00
योग :-						214.120	166832672.00

वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिनांक 03.02.2018 को दूरभाष पर दिये गये निर्देश अनुसार अनुक्रमांक 01 की ग्राम खरखरी खसरा क्रमांक 01 रकबा 16.500 हे. गैर वन भूमि को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति में नहीं प्राप्त हुई है। इस वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 17546622/- रुपये को छोड़कर सिर्फ अनुक्रमांक 2, 3, 4 हेतु स्वीकृत कुल राशि 149286050/- (चौदह करोड़ बानवे लाख छियासी हजार पचास रुपये) का निर्धारित मद (एड-हॉक कैम्पा) में जमा करने हेतु कार्यालयीन संदर्भित पत्र क्रमांक/221 दिनांक 03.2.2018 द्वारा लेख किया गया था, किन्तु आपके द्वारा राशि जमा करने की कोई जानकारी या सूचना इस कार्यालय को नहीं दी गई है।

अतः वरिष्ठ के संदर्भित पत्र क्रमांक/3513 दिनांक 12.11.2018 एवं पत्र क्रमांक/3650 दिनांक 29.11.2018 द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार अनुक्रमांक 1, 2, 3, एवं 4 के ग्रामों हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की कुल स्वीकृत राशि 166832672.00/- रुपये (सौलह करोड़ अड़सठ लाख बत्तीस हजार छः सौ बहत्तर रुपये) होता है, आप कृपया अधोहस्ताक्षर कर्ता वनमंडलाधिकारी दक्षिण सागर के नाम देय हो। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई-पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश के कैम्पा मद में उक्त राशि सीधे जमा करें। ताकि वनमंडल स्तर पर निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जा रही पंजी की साफ्ट प्रति एक्सेल सीट में प्रतिमाह की पांच तारीख तक वन मुख्यालय भोपाल को जानकारी भेजी जा सके। उपरोक्त अनुसार राशि एड-हॉक कैम्पा में जमा कर इस कार्यालय को विवरण सहित सूचित करें।

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./06/2019/ 413
प्रतिलिपि -

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कैम्पा) सतपुडा भवन भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. वनमंडल अधिकारी, सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री गणेशाय नमः
Feb 20 19 13:19
CGM (SMD) (18/3/19)



7-3-19
वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सागर (सा.) वनमंडल
सागर, दिनांक

7-3-19
वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमंडल